न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— संजय गोयल, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्याः—53/2015

नाहर सिंह पुत्र मेघश्याम, जाति जाट, निवासी ग्राम तमरौली, तहसील व जिला भरतपुर।

बनाम —वादी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

—प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88—89 राज0 काश्तकारी अधिनियम,1955

निर्णय

दिनांकः— 15—11—2018

वादी ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अर्न्तगत धारा 88—89 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 47 एयर, 254 रकबा 19 एयर किता 2 रकबा 66 एयर बाके ग्राम मौरोली खुर्द तहसील भरतपुर में स्थित है, जिसका वादी पूर्ण मालिक व काबिज काश्तकार है तथा राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदार दर्ज है।

विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। जिस पर वादी एवं वादी के पूर्वज संवत् 2012 के पूर्व काश्त करते चले आ रहे हैं तथा पूर्ण मालिक व काबिज हैं। पूर्व में वादी के पूर्वज उक्त आराजी पर काश्त करते थे और अब करीब 40 साल से वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी पर वादी को कानूनन पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं परन्तु उसको राजस्व रिकॉर्ड गैर खातेदार दर्ज कर रखा है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी ने प्रतिवादी तहसीलदार भरतपुर एवं हलका पटवारी से कई बार मौखिक एवं लिखित रूप से विवादित आराजी पर गैर खातेदार से खातेदार का अंकन किए जाने बावत् कहा है परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि वादी को पूर्ण खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं।

वादपत्र में राजस्थान सरकार को पक्षकार बनाए जाने से पूर्व विधिक नोटिस दिया जाना लाजिमी होता है, परन्तु वादी को विवादित आराजी पर खातेदार दर्ज नहीं किया है और हलका पटवारी द्वारा विवादित आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी दी है तथा कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिए वाद बिना नोटिस दिए ही पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र 80(2) जा.दी. अलग से पेश है।

इस प्रकार वादी ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम मौरोली खुर्द तहसील भरतपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 253 रकबा 47 एयर, 254 रकबा 19 एयर कुल किता 2 रकबा 66 एयर पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम हो रहे गैर खातेदारी के अंकन को निरस्त कर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज कराया जावे। वादी ने अपने दावा के समर्थन में संवत् 2069–2072 की जमाबंदी पेश की है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। पैरोकार सरकार को कई बार जवाब हेतु अवसर दिए गए परन्तु उनका जवाब न आने पर दिनांक 18.05.2016 को जवाब प्रतिवादी बन्द किया जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी में निहित की गई। साक्ष्यवादी में स्वयं वादी नाहर सिंह का शपथ पत्र दिनांक 28.04.2017 को पेश हुआ। इसके अतिरिक्त दिनांक 19.01.2018 को साक्ष्यवादी में गवाह राजेन्द्रसिंह व डोरीलाल के शपथपत्र और पेश किए गए। तत्पश्चात अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहने पर दिनांक 19.01.2018 को ही साक्ष्य वादी बन्द किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

पत्रावली पर अभिभाषक वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए दावा वादी डिक्री किये जाने का अनुरोध करते हुए अपनी बहस पूर्ण की।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अभिभाषक वादी द्वारा की गई बहस का मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया। वादी ने दिनांक 29.06.2015 को अपना दावा न्यायालय में पेश किया। जिसने अपने दावे के समर्थन में मात्र संवत् 2069–2072 की जमाबंदी पेश की है। इसके अलावा वादी द्वारा दावा के साथ ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे स्पष्ट होता हो कि वादी व उनके पूर्वज उक्त आराजी पर संवत् 2012 के पूर्व से काबिज हैं। प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वाके ग्राम मौरोली खुर्द स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 253/0.47 व 254/0.19 के मेघश्याम पुत्र रामशरण जाति जाट साकिन तमरौली गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड हैं। वादी स्वयं को मेघश्याम का पुत्र होना बताता है। वादी ने दावा के साथ न तो मेघश्याम का मृत्यु प्रमाण–पत्र पेश किया और न ही इस प्रकार का कोई भी पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है कि खातेदार मेघश्याम के वादी के अलावा और कितने वारिस हैं। इस प्रकार इनका पारिवारिक सजरा एवं मृत्यु प्रमाण–पत्र भी आवश्यक रूप से पेश किया जाना चाहिए था। इसके अलावा वादी द्वारा अंतिम बहस के दौरान मिलान क्षेत्रफल संवत् 2043–2062, जमाबंदी संवत् 2011–2014, 2015, एवं 2043–2062 पेश की हैं, जो इस स्टेज पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। दावा के दौरान वादी द्वारा किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लेने के लिए न्यायालय में कोई कार्यवाही भी नहीं की गई है।

ऐसी स्थिति में साक्ष्य के अभाव में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 15/11/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official